

RAJASTHAN NURSING COUNCIL JAIPUR

B-39, Sardar Patel Marg, C- Scheme, Jaipur, Ph- 2222923

दिनांक 13-8-2020

क्रमांक:-आर.एन.सी./शैक्ष0/संबद्धता/2020/ 959

Principal
SEEDLING SCHOOL OF NURSING
SIILAS CAMPUS. KHO-REBARIYAN, DELHI BY PASS, JAGATPURA
JAIPUR

विषय:-बी.एस.सी.नर्सिंग कोर्स की मान्यता/संबद्धता बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत राज्य सरकार (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-3) विभाग) के पत्र क्रमांक F.25(88)M&H/GR.-3/2010 DATE 21.09.2012 के द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र के उपरान्त भारतीय नर्सिंग परिषद, नई दिल्ली के पत्र क्रमांक FILE NO. 02/AUG/2012 DATE 07.08.2012 के तहत आपका संस्थान बी.एस.सी. नर्सिंग कोर्स संचालन के लिए 40 छात्रों की भर्ती करने के उपयुक्त पाया गया है तथा भारतीय उपचार्य परिषद के पत्रानुसार आपको निम्न शर्तों के तहत राजस्थान नर्सिंग कौंसिल के द्वारा संबद्धता/मान्यता दी जाती है:-

1. आपको प्रत्येक वर्ष राजस्थान नर्सिंग कौंसिल को निर्धारित मान्यता फीस नियमानुसार (वर्तमान में 10,000/-रु) जमा करवायें।
2. छात्रों की भर्ती के लिए वर्ष में एक बार माह सितम्बर/अक्टूबर में राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर द्वारा छात्र उपलब्ध करवायें जायेंगे तथा विज्ञप्ति में जारी नियमों एवं शर्तों की अनिवार्य रूप से पालना की जावेगी।
3. समय-समय पर राज्य सरकार एवं राजस्थान नर्सिंग कौंसिल, जयपुर द्वारा निरीक्षण किया जावेगा।
4. आपके संस्थान को 40 छात्रों को प्रति वर्ष भर्ती कर शिक्षण एवं प्रशिक्षण देने हेतु उपयुक्त पाया गया है। अतः आपको 40 छात्रों को राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, द्वारा निर्धारित बी.एस.सी. नर्सिंग पाठ्यक्रम के अनुसार व आई.एन.सी. द्वारा निर्धारित अन्य विषयों के लिए मान्यता प्रदान की जाती है।
5. राज्य सरकार के पत्र क्रमांक प.1(211)चि.स्वा./3/96 दिनांक 12.05.2000 एवं समसंख्यक संशोधित पत्र दिनांक 02.07.2001 द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की पालना अनिवार्य रूप से की जानी है।
6. समय-समय पर राज्य सरकार, भारतीय नर्सिंग परिषद, नई दिल्ली, राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, एवं राजस्थान नर्सिंग कौंसिल, जयपुर द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की पालना करना अनिवार्य होगा। किसी भी स्तर के निर्देशों की अवहेलना पाये जाने पर आपकी संस्था की मान्यता रद्द कर दी जायेगी।

(महेश कुमार शर्मा)
रजिस्ट्रार
राजस्थान नर्सिंग कौंसिल
जयपुर

क्रमांक:-आर.एन.सी./शैक्ष0/संबद्धता/2020/ 959

दिनांक 13-8-2020

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सचिव, भारतीय नर्सिंग परिषद, आठवा तल एनबीसीसी सेन्टर, प्लॉट नं.2, कम्यूनिटी सेन्टर, औखला फेज-1, नई दिल्ली।
2. उप शासन सचिव, चिकि. एवं स्वा. (ग्रुप-3) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. कुल सचिव, राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर।
4. कार्यालय प्रति।

रजिस्ट्रार
राजस्थान नर्सिंग कौंसिल
जयपुर